जे. वी. गुप्ता, के समक्ष जे.

श्रीमती अनीता जेरथ, डब्ल्यूडी/ओ स्वर्गीय श्री निर्मल प्रकाश

जेराथ, और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

श्रीमती पुष्पावती जेरथ, डब्ल्यूडी/ओ स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश

जेराथ और ओटीआर एस--प्रतिवादी।

1988 का नागरिक संशोधन संख्या 904।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)-धारा 35-बी-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925-धारा 372-उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने के लिए याचिका-ऐसी याचिका के परीक्षण के दौरान स्थगन के लिए लगाई गई लागत- लागत का भुगतान करने में विफलता-खारिज करना धारा 35-बी के तहत ऐसी याचिका- ऐसी याचिकाओं पर धारा 35-बी की प्रयोज्यता।

माना गया कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन को धारा 35-बी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, जब कहा गया कि लागत का भुगतान उत्तरदाताओं के वकील को कर दिया गया है, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा एक और तारीख दे दी गई है।

(पैरा 5)

श्री बी.एल. सिंगल, यूसीएस, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, फरीदाबाद की अदालत के 3 फरवरी, 1988 के आवेदन को खारिज करने के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सीपीसी की धारा 115 के तहत याचिका।

दावा- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन।

पुनरीक्षण में दावा - निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सरीन, आर. एल. सरीन, आशीष हांडा और जयश्री ठाकुर, अधिवक्ता।

निमो, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) यह याचिका 3 फरवरी 1988 के वरिष्ठ उप न्यायाधीश, फरीदाबाद के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उन्होंने लागत के भुगतान के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया था और इस प्रकार धारा के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन को खारिज करने के अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया था। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 472 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35बी के तहत लागत का भुगतान न करने पर, आदेश दिनांक 24 अगस्त, 1987।

(2) याचिकाकर्ताओं ने 40,000 रुपये की राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत एक आवेदन दायर किया, जो मृतक निर्मल प्रकाश जेरथ को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, बोनस आदि के कारण देय था। .उक्त आवेदन 4 मई, 1983 को दायर किया गया था। इसका विरोध याचिकाकर्ताओं की सास के साथ-साथ उसके देवर द्वारा भी किया जा रहा था। मुद्दा तय किया गया और याचिकाकर्ताओं को साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, 24 अगस्त, 1987 को याचिकाकर्ताओं के साक्ष्य मौजूद नहीं थे और मामले को लागत के रूप में 35 रुपये के भुगतान पर स्थगित कर दिया गया था। लागत के भुगतान पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आगे स्थगन की मांग की गई। विद्वान उप-न्यायाधीश द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई और याचिका सीपीसी की धारा 35-बी के तहत खारिज कर दी गई।

(3) बाद में जब उक्त आदेश को वापस लेने और लागत के भुगतान के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया, तो उसे आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। विद्वान वकील के अनुसार, प्रतिवादी के वकील को लागत का भुगतान किया गया था, लेकिन वह सुनवाई के समय उपस्थित होने में विफल रहा और इसलिए, अदालत ने पाया कि लागत का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अदालत ने पाया कि लागत का भुगतान नहीं किया गया था। .

(4) इसके अलावा, विद्वान वकील ने तर्क दिया, धारा 35-बी, सीपीसी के प्रावधान, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मेरा मानना है कि इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ उप न्यायाधीश, फरीदाबाद का पूरा दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत, अवैध और गलत धारणा वाला था। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन को धारा 35-बी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, जब कहा गया था कि लागत का भुगतान उत्तरदाताओं के वकील को कर दिया गया है, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा एक और तारीख दी जानी चाहिए थी। उक्त आदेश को वापस न लेकर न्याय की विफलता हुई है। परिणामस्वरूप, यह पुनरीक्षण याचिका सफल होती है। दोनों आदेश यानी 3 फरवरी 1988 का आक्षेपित आदेश और 24 अगस्त 1987 का आदेश लागत के रूप में 100 रुपये के भुगतान पर रद्द किए जाते हैं।

(6) पार्टियों को लागत के रूप में 100 रुपये का भुगतान करके कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए 23 अगस्त, 1989 को वरिष्ठ उप न्यायाधीश, फरीदाबाद की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

(7) चूंकि आवेदन वर्ष 1983 में दायर किया गया है, इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि पक्षकार अपनी गवाही अपनी जिम्मेदारी पर देंगे जिसके लिए प्रत्येक पक्ष को एक अवसर दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh